2010 का अधिनियम संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 14 सितम्बर, 2010 को यथानुमोदित)

हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश गोवध निषेध अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

"(गग) "निर्यात" से गाय का हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर ले जाना अभिप्रेत है।"।

नई धारा 4 क, 4 ख तथा 4 ग का अन्तःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:––

"4 क. गाय के निर्यात पर निर्बन्धन.–– कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अपने अभिकर्ता अथवा सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से गाय को, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या यह जानकारी रखते हुए कि इसका वध किया जा सकेगा या इसकी सम्भावना है, वध के प्रयोजन के लिए, निर्यात नहीं करेगा या नहीं करवाएगा ।

4 ख. निर्यात के लिए अनुज्ञापत्र.–– (1) कोई व्यक्ति, जो गायों का निर्यात करने का इच्छुक हो, गायों की संख्या और उस राज्य का नाम, जिसको उसका निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, सहित उन कारणों,

जिनके लिए उनका निर्यात किया जाना है, का कथन करते हुए अनुज्ञापत्र हेतु ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसे सरकार इस निमित्त अधि ासूचना द्वारा नियुक्त करे । वह यह घोषणा भी दाखिल करेगा कि उन गायों का वध नहीं किया जाएगा, जिनके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के अनुरोध की यथार्थता के बारे में अपना समाधान होने के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, आवेदन में विनिर्दिष्ट गायों के निर्यात हेतु उसे अनुज्ञापत्र प्रदान और जारी करेगा।

4 ग. विशेष अनुज्ञापत्र.— सरकार को, उन दशाओं में, जहां इसकी राय में ऐसा करना लोकहित में है, गायों के निर्यात हेतु विशेष अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्ति होगी ।''।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''धारा 3 या 5'' और ''पांच हजार'' शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः ''धारा 3, 4 क, 4 ख, या 5'' और ''पच्चीस हजार'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

नई धारा 9 क तथा 9 ख का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''9 क. प्रवेश करने और अधिग्रहण आदि की शक्ति.— कोई पुलिस अधिकारी, जो मुख्य आरक्षी की पंक्ति से नीचे का न हो या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, स्वयं को आश्वस्त करने और अपना यह समाधान करने के दृष्टिगत कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया है,—

(क) गायों के निर्यात हेतु उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाने के लिए आशयित किसी यान में प्रवेश कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या किसी व्यक्ति को, उसमें प्रवेश करने, उसे रोकने और उसकी तलाशी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) यदि उसे यह संदेह होता है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है

या किया जाने वाला है, तो वह गायों और उस यान, जिसमें ऐसी गाय पाई जाती है, का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहण हेतु प्राधिकृत कर सकेगा, और तत्पश्चात् अभिगृहित गायों और यानों को, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु, न्यायालय में पेश करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा या करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा; और

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण हेतु लागू होंगे । 1974 का 2

9 ख. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होंगी।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–– धारा 10 का संशोधन।

''(घघ) प्ररूप, जिसमें धारा 4 ख के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना है और ऐसे अनुज्ञापत्र की बाबत प्रभारित की जाने वाली फीस ।''।